

12.40 hrs.

PANEL OF CHAIRMEN

MR. SPEAKER : I have to inform the House that under sub-rule (1) of rule 9 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Shbha, I nominate the following Members on the Panel of Chairmen. Normally as one year is over, all Committees are changed.

1. Shri M. Thirumala Rao
2. Shrimati Tarkeshwari Sinha
3. Shri R. D. Bhandare
4. Y. Gadilingana Goud
5. Shri P. K. Vasudevan Nair, and
6. Shri Hem Barua

CONVICTION OF MEMBER

(Shri Kameshwar Singh)

MR. SPEAKER : Hon. Shri Pilo Mody wanted to know about arrests. I have to inform the House that I have received the following telegram, dated the 30th April, 1968 from Judicial Magistrate, Bhuj :

"Shri Kameshwar Singh, Member, Lok Sabha was convicted under Section 143 and 145, Indian Penal Code and sentenced to simple imprisonment for seven days, and convicted under Section 188 and fined Rs. 25/- in default simple imprisonment for three days on the 29th April, 1968 at Bhuj."

12.41 hrs.

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 282 RE. HINDUS IN PAKISTAN

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B.R. BHAGAT) : In reply to Starred Question No. 282 answered in this House. on the 27th November, 1967, the Hindu population of Pakistan at the time of partition was stated to be 18.4 million. The correct figure is 18.1 million.

12.42 hrs.

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 (RE. RAILWAY COMMUNICATION SERVICES AT GORAKHPUR AND RAILWAY MINISTER'S REPLY THERETO

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 23 अप्रैल, को तारांकित प्रश्न संख्या 1384 के उत्तर के सम्बन्ध में रेल मंत्री श्री सी० एम० पुनाचा तथा रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री परिमल घोष ने कुछ गलत बयानियां की हैं। मैं सदन का ध्यान उन गलतियों की ओर दिलाना चाहता हूँ।

माइक्रोवेव टावर के लिए जो टेंडर टेली-कम्युनिकेशन विभाग (गोरखपुर) ने क० एन०/टी०पी०/190 दिनांक 28-4-1966 मांगे थे, उन पर अंतिम निर्णय 1966 तक नहीं लिया गया था। मंत्री ने यह तथ्य जान-बूझ कर सदन को गलत बताया है जिसकी पुष्टि रेल मंत्री द्वारा की गई है।

इस टेंडर पर अंतिम निर्णय दिनांक 30-11-67 तक भी नहीं हुआ - जिसकी पुष्टि एन० ई० रेलवे के चीफ सिगनल और टेली-कम्युनिकेशन इंजीनियर के पत्र द्वारा तीनों पार्टियों को दी गई सूचना (पत्र संख्या एन० टी०पी०/190 सी०/2214 दिनांक 17-10-67) से हो जाती है। श्री परिमल घोष का कथन गलत है कि उनके मंत्री बनने के पूर्व ही इस पर निर्णय लिया गया था। यह जानबूझ कर सदन को गुमराह करने वाला है सत्य यह है कि मंत्री बनने के लगभग एक वर्ष बाद ठेका दिया गया है।

यह कहना कि टेंडर खुलने के समय जिस का सबसे कम था उसको दिया गया है यह भी जानबूझ कर गलत बयानी की गई है। यह टेंडर नेगोशिएटिड था।

समय-समय पर टेंडर समिति ने स्ट्रक्चरल डिजाइन और फाउन्डेशन डिजाइन को बदला जिसका मुख्य कारण पक्षपात ही था।